"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जून 2010—ज्येष्ठ 27, शक 1932

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2010/वा.क. (पं.)/पांच (47).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रयोजनों हेतु भूमि, भवन-शेड के क्रय/पट्टे के लिखतों पर (माइनिंग से संबंधित भूमि के क्रय/पट्टे की लिखतों को छोड़कर) प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :—

(1) पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योगों की स्थापना (संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये 16 उद्योगों को छोड़कर).

(2) उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत आने वाले, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शवलीकरण तथा बेकवर्ड इन्टीग्रेशन एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन (संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये 16 उद्योगों को छोड़कर).

(3) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना (क्षेत्रफल न्यूनतम 75 एकड़ होने पर).

(4) राज्य शासन द्वारा परिभाषित लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना.

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :—

1. उपरोक्त क्र. (1) से (3) के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2009-2014 के परिशिष्ट-1 में **यथापरिभाषित हैं.**

2. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा.

3. ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा.

4. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में औद्योगिक नीति 2009-14 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी.

5. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-11-2009 से प्रभावशील मानी जावेगी.

6. ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

(औद्योगिक नीति 2009-2014 के परिशिष्ट 2 में उल्लेखित संतृप्त उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)

(एक) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(दो) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(तीन) लाईम पावडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(चार) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(पांच) चूना निर्माण

(छः) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(सात) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)

(आठ) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(नौ) स्पंज आयरन

(दस) राईस मिल

(ग्यारह) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(बारह) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(तेरह) आरा मिल (सॉ मिल)

(चौदह) लेदर टैनरी

(पन्द्रह) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जाब वर्क को छोड़कर)

(सोलह) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2010/वा.क. (पं.)/पांच (48).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा प्राप्त बैंक/वित्तीय-संस्थाओं से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने पर प्रथम ऋण-स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :—

(1) पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योगों की स्थापना (संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये 16 उद्योगों एवं कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर).

(2) उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत आने वाले, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शवलीकरण तथा बेकवर्ड इन्टीग्रेशन एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन (संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये 16 उद्योगों एवं कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर).

(3) राज्य शासन द्वारा परिभाषित लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना.

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :—

1. उपरोक्त क्र. (1) से (2) के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2009-2014 के परिशिष्ट-1 में यथापरिभाषित हैं.

2. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा.

3. ऐसा प्रमाण-पत्र बैंक/वित्तीय संस्थाओं में बंधक के लिए प्रस्तुत अनुबंध विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित विलेख की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा.

4. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में औद्योगिक नीति 2009-14 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी.

5. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-11-2009 से प्रभावशील मानी जावेगी.

6. ऐसें विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

(औद्योगिक नीति 2009-2014 के परिशिष्ट 2 में उल्लेखित संतृप्त उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)

(एक) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
(दो) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(तीन) लाईम पावडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(चार) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग
(पांच) चूना निर्माण
(छः) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग
(सात) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(आठ) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(नौ) स्पंज आयरन
(दस) राईस मिल
(ग्यारह) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर
(बारह) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
(तेरह) आरा मिल (सॉ मिल)
(चौदह) लेदर टैनरी
(पन्द्रह) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जाब वर्क को छोड़कर)
(सोलह) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

2. औद्योगिक नीति 2009-2014 के परिशिष्ट 5 में सम्मिलित कोर सेक्टर के उद्योग, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है
(एक) सीमेन्ट/क्लिंकर प्लांट
(दो) इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट
(तीन) एल्युमिना/एल्युमिनियम प्लांट
(चार) ताप विद्युत संयंत्र

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2010/वा.क. (पं.)/पांच (49).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, औद्योगिक नीति 2009-14 के प्रावधानानुसार राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों हेतु आरक्षित भू-खण्डों एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अधिग्रहण किये जाने पर भू-अर्जन से प्रभावित भूमिस्वामी द्वारा प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, उनके पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि क्रय करने संबंधी अंतरण की लिखतों पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :—

(i) अधिग्रहण से प्रभावित भूमिस्वामियों द्वारा, प्रतिकर (मुआवजा) राशि प्राप्ति दिनांक से 02 वर्ष की अवधि में, विलेख निष्पादित किया गया हो.

(ii) स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता प्रभावित भूमिस्वामियों को प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक परिसीमित होगी, क्रय की जाने वाली ऐसी कृषि भूमि का बाजार मूल्य, प्रतिकर (मुआवजा) की राशि से अधिक होने की स्थिति में, संपत्ति के शेष बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा.

(iii) प्रभावित व्यक्ति द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हो.

(iv) संबंधित भूमिस्वामी को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये प्रारूप अनुसार, अधिग्रहण क्षेत्र के भू-अर्जन प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(v) ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलत: प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा.

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :—

1. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-11-2009 से प्रभावशील होगी.

2. ऐसे विलेखों जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी.

3. यदि एक ही पंजीयन कार्यालय में एक से अधिक हस्तांतरण विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, तो मूल प्रमाण-पत्र पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

छ. ग. शासन द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने पर प्रभावित भूमिस्वामी द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, कृषि भूमि क्रय करने संबंधी निष्पादित अंतरण की लिखतों पर, स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु

प्रमाण-पत्र

(दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रमाण-पत्र मूल में कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न किया जावे)

क्रमांक .... जारी दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति .... जाति .... निवासी .... तहसील .... जिला .... (छ. ग.) की ग्राम .... प. ह. नं. .... राजस्व निरीक्षण मण्डल .... ब्लाक .... तहसील .... जिला .... (छ. ग.) में स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि जिसका खसरा नम्बर .... रकबा .... है, को औद्योगिक नीति 2009-14 के प्रावधानानुसार औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाकर दिनांक .... को प्रतिकर (मुआवजा) की राशि रुपये ..../- (शब्दों में ....) नियमानुसार भुगतान की गई है.

यह प्रमाण पत्र एतद्द्वारा आज दिनांक .... को छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... की शर्तों के अधीन प्रभावित भूमि-स्वामी द्वारा रुपये ..../- (शब्दों में ....) तक की कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी किया गया है तथा दिनाक .... तक दस्तावेज के निष्पादन हेतु प्रभावशील होगा.

स्थान :

तारीख :

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित)

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2010/वा.क. (पं.)/पांच (50).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन के भूखण्डों हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर, उनके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :—

1. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भूमि क्रय के प्रकरणों में उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा.

2. ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा.

3. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-11-2009 से प्रभावशील मानी जावेगी.

4. ऐसे विलेखों जिनमें, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.